BEFORE DR. GITA RAWAT, JOINT SECRETARY & FIRST APPELLATE AUTHORITY
(Under Section 19 of RTI Act, 2005)
MINISTRY OF LAW & JUSTICE: DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS
ROOM NO. 408, 'A' WING, SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI 110001
****

Appeal No.21(284)/2014 -IC **Date: 7.7.2014.**

In the matter of

Shri Rajbir Singh,
WZ-578-B, Naryana Village,
New Delhi.

Appellant

Versus

Central Public Information Officer
Ministry of Law & Justice
Department of Legal Affairs
Shastri Bhawan
NEW DELHI – 110001

Respondent

Date: 7.7.2014

ORDER

The appellant has filed an appeal on 18.6.2014 received on 19.6.2014under Section 19 of the RTI Act for not getting the information furnished by the CPIO, the respondent vide letter N0. 21(284)/2014 dated 10.6.2014.

Brief facts of the case:

1. The appellant vide his application dated 26.4.2014 received on 30.4.2014sought information relating to Interview of Notary Public.
2. The respondent has collected the information from the concerned sections of this Ministry and sent the reply to the appellant vide letter No. 21(284)/2013-IC dated 10.6.2014.
3. Being aggrieved with the information of the respondent the appellant has filed an appeal received on 19.6.2014.

4. I undersigned have been appointed as Appellate Authority in the matter on. After perusal of the facts of the case it appears that no hearing is required in this matter.

Observation

5. On perusal of the record it appears that the information furnished by the respondent vide letter dated 10.6.2014 is the substantive response for the information asked by the applicant in the original application dated 26.4.2014.

6. I have assessed the facts and circumstances of the case and come to the conclusion that the CPIO, the respondent has acted as per provisions of Act. Hence, appeal is being decided accordingly.

7. The appellant may kindly note that since the proceeding has been closed, no further hearing may be conducted in this matter. Moreover, if there is any grievance against the order of the Appellate Authority, he may file second appeal before the Hon'ble CIC sitting at 2nd Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi 110066(within 90 days)i.e period as prescribed under the provision of RTI Act, 2005.

(DR. GITA RAWAT) 7-7-14
Joint Secretary & Appellate Authority
Date:07.07.2014

Copy to:

1. Shri Shri Rajbir Singh, WZ-578-B, Naryana Village, New Delhi.

2. Smt. Asha Sota, CPIO/Under Secretary, Deptt. of Legal Affairs.

(DR. GITA RAWAT)
Joint Secretary &
First Appellate Authority
Ministry

284/14 (स्पीड पोस्ट) दि० 18/06/2014

CS/JS&LA/G.Rawat/2014
19.6.2014

सेवा में,

डा० गीता रावत जी
प्रथम अपील प्राधिकारी (सूचना का अधिकार)
संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार
विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय,
कमरा सं० 408 'ए' विंग, चौथा तल, शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110001

19/6

विषय: सूचना का अधिकार-2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील हेतु प्रार्थना पत्र

श्रीमान महोदय/महोदया जी,

सविनय निवेदन यह है कि मैंने दिनांक 12/03/2014 को तथा दिनांक 28/04/2014 को नोटरी पब्लिक (दिल्ली राज्य हेतु) फरवरी माह 2014 में नियुक्त किए गए के संबंध में लोक सूचना अधिकारी को स्पीड पोस्ट द्वारा दो पत्र भेजे थे लेकिन लोक सूचना अधिकारी ने 30 दिन की कानूनी समयावधि बीत जाने के बाद दिनांक 10/06/2014 व 09/06/2014 को अपने पत्र सं० फा० सं० 21 (284)/2014-आई०सी अनुलग्न 'क' फा० सं० 5A (104)/2014 - एन० सी० तथा फा० सं० 21 (466)/2014- आई०सी० अनुलग्न 'क' फा० सं० 5A (104)/2014- एन० सी के माध्यम से श्री० के गिनरबल बंगा जी ने सूचना भेजी है समयावधि बीत जाने के बाद सूचना उपलब्ध कराना धारा SECTION 20 (1) का सीधे रूप में उलंघन है।

उपरोक्त बातों के अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी जी के द्वारा भेजी गई/उपलब्ध कराई गई सूचनाओं से भी सन्तुष्ट नहीं हूं एक तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं है दूसरे जानबूझ कर गलत, अपूर्ण एवं भ्रामक प्रकार की सूचना देकर गुमराह करने की भी कोशिश की है तथा उस सारी सूचना को ही नष्ट कर दिया है जोकि मेरे अनुरोध का मुख्य विषय थी।

अत: आप मेरे द्वारा भेजी गई प्रार्थना पत्र को पुन: अवलोकन करने की कृपा करें और मेरे द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं प्रत्येक बिन्दुअनुसार स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें। अत: आपसे पुन: निवेदन है कि मेरी प्रथम अपील प्रार्थना पत्र पर उचित कार्यवाई करने की कृपा करें और नियत समय के अन्दर मेरी प्रथम अपील का निस्तारण करने का कष्ट करें आपकी अति कृपा होगी। इससे पहले दिनांक 28/4/14 को भेजे गए प्रथम अपील का आपने आज तक निस्तारण नहीं किया है। धन्यवाद

प्रार्थी

राजबीर सिंह

राजबीर सिंह (पता: WZ-578-बी, नारायणा गाँव, नई दिल्ली-110028
दूरभाष नं० - 9210947848, EMAIL- rajbir_tanwar@rediffmail.com

विधि कार्य विभाग
नोटरी सेल

******

फा.स. 5A(104)/2014-एन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ के अंतर्गत श्री राजबीर सिंह, दिल्ली के द मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध मे.

केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, विधि कार्य विभाग द्वारा सूचना का अधि अधिनियम, २००५ के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए श्री राजबीर सिंह, दिल्ली के प्रार्थना की एक प्रति कार्यालय ज्ञापन संख्या २१(२४८)/२०१४-आइ.सी. दिनांक 22.05.2014 के द प्रेषित की है जो कि फ़रवरी २०१४ के दौरान दिल्ली के साक्षात्कार के बारे में है.

२. अनुमोदन के उपरांत निम्नलिखित सूचना केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, वि कार्य विभाग को आवेदक को भेजने हेतु प्रदान की जा सकती है.

S.No.	Reply to Questions
1.	मांगी गई सभी सूचना विधि कार्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट जो वं www.lawmin.nic.in. है पर उपलब्ध है.
2. & 3.	मांगी गई सूचना प्रश्न की प्रकृति में है, यह विभाग किसी प्रश्न का उत्तर देने वं लिए बाध्य नहीं है.
4.	श्री डी. भारद्वाज, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, अध्यक्ष, श्री महेश त्यागी, उ विधि सलाहकार तथा श्री टी.के. मलिक, सहायक विधि सलाहकार, सदस्य के रूप मं साक्षात्कार बोर्ड में थे.
5.	इस बारे में सूचना पहले ही प्रदान की जा चुकी है,, फिर भी आपको यह सूचित किया जाता है कि नोटरी नियम के नियम ४(१) के अनुसार नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदक को अपना आवेदन पत्र सम्बद्ध जिला न्यायाधीश अथवा जिस न्यायालय में आवेदक प्रैक्टिस करता है वहां के पीठासीन अधिकारी के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य होता है. अतः साक्षात्कार की सूची में भी केवल उन्ही उम्मीदवारों के नाम थे जिनके आवेदन पत्र नोटरी अधिनियम, १९५२ तथा नोटरी नियम, १९५६ के प्रावधानों के अंतर्गत ही प्राप्त हुए थे.
6. & 7.	विभाग के नोटरी सेल द्वारा जिला-वार/ जाति-वार आंकड़े/सूचना नहीं रखी जाती है. नोटरी अधिनियम, १९५२ तथा नोटरी नियम, १९५६ के प्रावधानों के अंतर्गत साधारण जाति के लिए तय १० वर्षों के कार्य अध्ययन के अनुभव की तुलना में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए केवल ७ वर्षों का ही प्रावधान है. इसके अलावा अन्य किसी आरक्षण का नोटरी अधिनियम, १९५२ तथा नोटरी नियम, १९५६ में कोई प्रावधान नहीं है.
8.	जाति-वार आंकड़े/सूचना तथा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदको के आंकड़े नोटरी सेल में नहीं रखे जाते हैं.

SPEED POST

दिनांक : 12/03/14

The Sh. S.K. CHITKARA
Central Public Information Officer,
Legislative Department
Ministry of Law and Justice
Room No-728, 'A' wing, 7th Floor,
Shastri Bhawan, New Delhi-110001

SUB: APPLICATION FOR SEEKING THE INFORMATIONS UNDER THE RTI ACT-2005

Respected Sir/Madam,

कृपया करके मुझे निम्नलिखित बातों की सूचना का अधिकार नियम के अन्तर्गत सूचना प्रदान करने की कृपा करें :

1. दिल्ली राज्य क्षेत्र में अब तक कुल कितने नोटरी पब्लिक वकील नियुक्त किए गए हैं तथा 31/12/2013 तक लाइसेंस नवीनीकरण आदि कराने के बाद कुल कितने नोटरी पब्लिक हैं। तथा इनमें से कितनों का AREA OF PRACTICE कार्य क्षेत्र दिल्ली की अदालतों के अन्दर है तथा कितनों का कार्य क्षेत्र अपना स्थानीय क्षेत्र है

2. आपके द्वारा कुल साक्षात्कार के लिए घोषित LIST में 143 उम्मीदवारों के ही नाम हैं जो भी शायद गलत है कुल 142 उम्मीदवार ही हैं लेकिन आपके द्वारा घोषित साक्षात्कार कार्यक्रम में क्र.स. 1 से 80 का साक्षात्कार दिनांक 10/02/14 को तथा क्र.सं. 81 से 144 तक का साक्षात्कार दिनांक 11/02/14 को इसका कारण स्पष्ट करें।

3. आपके द्वारा घोषित सफल उम्मीदवारों की सूची में काफी ऐसे नाम हैं जिनका नाम आपके द्वारा साक्षात्कार के लिए घोषित LIST सूची में था ही नहीं उनके नाम कब, क्यों व किस आधार पर जोड़े गए।

4. कृपया दिनांक 10/02/14 को इन्टरव्यू बोर्ड में बैठे व साक्षात्कार लेने वाले माननीयों के नाम व उनके पद आदि की तथा 11/02/14 को साक्षात्कार लेने वाले माननीय सदस्यों के नाम व उनके पद आदि की जानकारी देने की कृपा करें.

5. कृपया करके इस बात की जानकारी प्रदान करें कि वर्ष 2011, वर्ष 2012 व वर्ष 2013 में कितने लोगों ने अपना FORM-I सम्बन्धित जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के माध्यम से अपना आवेदन पत्र भेजा तथा कितनों ने बिना जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के माध्यम से अपना आवेदन पत्र आपको नहीं भेजा था क्या उनके आवेदन पत्र स्वीकार किए गए। क्या उनको भी साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र भेजा गया। कृपया उन सभी उम्मीदवारों के APPLICATION FILE No. व दिनांक उपलब्ध कराएं जिसके तहत उनके आवेदनों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने आपके मंत्रालय (विधि एवं न्याय मंत्रालय) शास्त्री भवन में भेजा।

--2--

9.	चूंकि प्रत्येक साक्षात्कार बोर्ड स्वयं अपने द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुरूप ही कार्य करता है, अतः किसी भी आवेदक को सुनिश्चित तारीख के अतिरिक्त साक्षात्कार बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होने के लिए आज्ञा देना पूर्ण रूप से साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों के क्षेत्राधिकार में ही होता है.
10.	आवेदक को प्रैक्टिस करने के लिए क्षेत्र उसके द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित किये गए क्षेत्र के अनुरूप ही नोटरी प्रमाण पत्र जारी करने के समय प्रदान किया जाता है. नोटरी अनुभाग में इस सम्बन्ध में अलग से कोई जिला-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं.
11.	चूंकि प्रत्येक साक्षात्कार बोर्ड स्वयं अपने द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुरूप ही कार्य करता है, अतः किसी भी आवेदक के नाम की नोटरी पब्लिक की नियुक्ति के लिए सिफारिश करना साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों के क्षेत्राधिकार में ही है.
12 व 13	मांगी गई सूचना प्रश्न की प्रकृति में है, फिर भी, यह सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्रों की जांच करने के उपरांत अपूर्ण पाये गए आवेदन पत्रों को सम्बंधित आवेदकों को उनके द्वारा उचित कार्यवाही हेतु वापिस कर दिया गया था. इनमे से कुछ आवेदन पत्र आवेदको द्वारा ठीक/पूर्ण करने के उपरांत वापिस इस विभाग को भेजे दिए गए थे. जो भी आवेदन पत्र नोटरी अनुभाग को ७ फ़रवरी २०१४ तक प्राप्त हो गए थे उन्हें सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से साक्षात्कार की सूची में सम्मिलित किया गया था. इससे पहले, आवेदको की सूचना हेतु १४३ उम्मीदवारों की एक सूची जो कि बढ़ते हुए क्रम में थी, विधि कार्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट जो की www.lawmin.nic.in. है पर डाल दी गयी थी जिसे बाद में ७ फ़रवरी २०१४ को अद्यतन किया गया था जिसमे वर्ष २०११, २०१२ तथा २०१३ तीनो के ही उम्मीदवार शामिल थे.

2. यहाँ प्रदान की जा रही सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ के अंतर्गत प्रकटीकरण से वर्जित नहीं है.

अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है.

अनुभाग अधिकारी
नोटरी सेल

उप विधि सलाहकार एवं सक्षम प्राधिकारी

2/6/14

216

S.O. (I.C.)

Sh. Gupta
2/6